राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

Rules
08/08/24

प्रश्नावली

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	विभागों द्वारा पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को समय पर नहीं भिजवाने के क्या मुख्य कारण है ?	संबंधित कार्यालय कर्मचारी का पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को विलम्ब से भिजवाने के निम्न मुख्य कारण है :– 1. विभागीय जांच बकाया होना। 2. अदेयता प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं होना। 3. पूर्ण सेवा अवधि का सेवा सत्यापित नहीं होना। 4. पेंशन योग्य सेवा के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होना (वर्क चार्ज कर्मचारियों के प्रकरण में विशेष रूप से) 5. कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन संबंधी प्रकरणों का समय पर निपटारा नहीं होना।
2.	पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कब तक किया जाता है?	विभाग जहाँ से कार्मिक की सेवानिवृति हुई है, से पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर 7 दिवस में कर दिया जाता है ।
3.	किसी कर्मचारी के कार्यालय अभिलेख पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रोविजनल पेंशन कितनी दी जाती है ?	राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 86 के अनुसार कर्मचारी को उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सेवा के अर्हकारी वर्षो एवं पेंशन के लिए अर्हकारी परिलब्धियों का निर्धारण करने के पश्चात् प्रोविजनल पेंशन 100 प्रतिशत तथा ग्रेच्यूटी 75 प्रतिशत स्वीकृत की जाती है। प्रोविजनल पेंशन जो उस अधिकतम पेंशन के बराबर होगी जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति की तारीख को अर्हकारी सेवा के आधार पर स्वीकृत होगी, जो न्यूनतम रूपये 8850 प्रति माह से कम नहीं होगी
4.	कार्मिक के विरूद्ध विभागीय जांच / न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए सेवानिवृत हो जाता है तो उसे क्या पेंशन परिलाभ स्वीकृत होते हैं ?	प्रोविजनल पेंशन जो उस अधिकतम पेंशन के बराबर होगी जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृति की तारीख को अर्हकारी सेवा के आधार पर स्वीकृत होगी, जो न्यूनतम रूपये 8850 प्रति माह से कम नहीं होगी तथा अधिकतम 50 प्रतिशत ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाता है।
5.	पेंशन परिलाभों में क्या–क्या भुगतान शामिल है?	मासिक पेंशन / गेच्यूटी / कम्यूटेशन (रूपान्तरित पेंशन)

6.	पेंशन स्वीकृति हेतु मुख्य प्रावधान क्या है?	राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के तहत विभाग जहां से कार्मिक सेवानिवृत होता है, पेंशन सेट में पेंशन परिलाभ कि स्वीकृति, लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र, नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश (प्रपत्र–6) आदि Online माध्यम से भिजवाये जाने पर पेंशन विभाग द्वारा पेंशन परिलाभ की अधिकृतियां (Pension Kit) जारी की जाती है।
7.	सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से कितने दिन पूर्व तक पेंशन परिलाभों (पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ) की स्वीकृति जारी हो सकती है ?	पेंशन नियमों में यह प्रावधान है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त तिथि से 6 माह पूर्व तक पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित कर सकता है। इस प्रकार सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व तक भी सेवानिवृत्त परिलाभों की स्वीकृति जारी हो सकती है।
8.	पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु IFMS 3.0 का क्या प्रावधान है ?	IFMS 3.0 के अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा पेंशन प्रकरण पेपरलेस, ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है तथा पेंशन विभाग द्वारा भी ऑनलाइन पेंशन परिलाभों संबंधी स्वीकृतियां जारी की जाती है।
9.	कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है ?	01.04.2023 एवं उसके पश्चात् सेवानिवृत कर्मचारियों को 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर राज्य सरकार में उच्चतम वेतन 218600 रूपये के 50 प्रतिशत के अधिकतम के अध्ययधीन परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन स्वीकृत की जायेगी जिन्हें सरकारी कर्मचारी सेवानिवृति की तारीख के ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था। यदि कर्मचारी 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पहले किन्तु 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के बाद इन नियमों के अनुसार सेवानिवृत हो रहा है तो पेंशन की राशि अनुपातिक होगी जो किसी भी दशा में 8850 रूपये से कम नहीं होगी और इस पर प्रचलित दर से महंगाई राहत की राशि का भुगतान भी किया जाता है।
10.	सेवानिवृत्त पर कर्मचारी को उपादान (ग्रेच्यूटी) की कितनी राशि दी जाती है?	ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसने पांच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है तथा जो नियम 54 के अधीन ग्रेच्यूटी या पेंशन के लिए पात्र हो चुका है, सेवानिवृत्त होने पर, अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण 6 माह की अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों की एक–चौथाई के बराबर सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी स्वीकार की जाएगी, किन्तु यह परिलब्धियों के 16.5 गुना की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहेगी। परन्तु उक्त नियम के अधीन संदेह सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी या मृत्यु ग्रेच्यूटी की राशि 20 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।
11.	पेंशन रूपान्तरण (कम्यूटेशन) के रूप में सेवानिवृत्ति पर कितनी राशि दी जाती है ?	राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी पेंशन राशि का अधिकतम 1/3 भाग को पेंशन रूपान्तरित करवाकर एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक द्वारा रूपान्तरण हेतु आवेदित राशि पर भुगतान योग्य एकमुश्त राशि समय–समय पर विहित एवं उस तारीख को जिसको रूपान्तरण आत्यंतिक हुआ है, आवेदक पर

		प्रभावशील राशियों की तालिका संगणित कर भुगतान किया जाता है। उक्त रूपान्तरित राशि को 14 वर्ष व्यतीत होने पर अगले माह की प्रथम तारीख से प्रत्यावर्तित (Restore) किया जाकर उचित पूर्ण पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन इस अवधि में पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन से रूपान्तरित राशि की वसूली नहीं की जाती है।
12.	30 जून को सेवानिवृत हुए कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में बजट में क्या–क्या प्रावधान किया गया है ?	30 जून 2023 को सेवानिवृत हुए कर्मचारी को पेंशन गणना के लिए काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2023 को दिये जाने का प्रावधान है। इसी तरह भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा।
13.	पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी है ?	10 वर्ष की न्यूनतम सेवा अर्हकारी अवधि पर ही पेंशन देय है।
14.	सेवा अवधि 10 वर्ष से कम होने पर कर्मचारी को क्या–क्या लाभ प्राप्त होते हैं ?	पेंशन योग्य अर्हकारी अवधि 10 वर्ष से कम होने पर कर्मचारी को सर्विस ग्रेच्यूटी तथा ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाता है।
15.	अतिरिक्त पेंशन किस–किस उम्र में कितनी–कितनी देय है ?	75 वर्ष की आयु होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता का भुगतान किया जाता है तथा 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 85 वर्ष पर 30 प्रतिशत, 90 वर्ष पर 40 प्रतिशत, 95 वर्ष पर 50 प्रतिशत तथा 100 वर्ष की उम्र पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिये जाने का पेंशन नियमों में प्रावधान है। उक्त अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत का भी भत्ता दिया जाता है।
16.	पारिवारिक पेंशन परिवार के किन–किन सदस्यों को स्वीकृत की जा सकती है?	1. विधवा/विधुर को मृत्यु या पुनः विवाह करने की तारीख तक, जो भी पूर्व में हो 2. अविवाहित पुत्र, उसके पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त करने या (12500 रूपये) से अधिक की मासिक आय उपार्जित करने तक, जो भी पूर्व में हो 3. अविवाहित पुत्री, उसके विवाह की तारीख तक या (12500 रूपये) से अधिक की मासिक आय उपार्जित करने तक, जो भी पूर्व में हो 4. किसी भी आयु की विधवा/तलाकशुदा पुत्री, उसके पुनर्विवाह की तारीख तक, या उस तारीख तक जिसको वह (12500 रूपये) से अधिक की मासिक आय उपार्जित करना प्रारम्भ करती है, या मृत्यु की तारीख तक, जो भी पूर्व में हो बशर्ते उसके पति की मृत्यु तथा तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के जीवित रहने के समय हो गया हो और वह उन पर आश्रित हो। 5. माता–पिता, जो सरकारी कर्मचारी पर तब पूर्णतः आश्रित थे जब वह जीवित था/थी, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी के पीछे न तो विधवा रही हो, न ही कोई संतान और माता–पिता की आय (12500

		रूपये) प्रति मास से अधिक न हो। 6. परन्तु यह कि यदि सरकारी कर्मचारी/पेंशनर का किसी भी आयु का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित हो या शारीरिक रूप से विकलांग या निःशक्त या अन्धा या बहरा या गूंगा हो जिससे वह जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो जाये तो ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन जीवन भर के लिए बशर्तें की उसकी मासिक आय 12500 रूपये प्रति मास से अधिक न हो।
17.	पारिवरिक पेंशन के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है ?	वर्तमान में कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशनर को 7 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इस बजट में कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्ष तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
18.	कितने वर्षो की सेवा पर कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा के लिए आवेदन कर सकता है ?	वर्तमान में कार्मिक 15 वर्षो की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत हेतु आवेदन कर सकता है।
19.	वर्तमान में पेंशन विभाग में पेंशन प्रकरण भिजवाने की क्या प्रक्रिया है ?	IFMS 3.0 पोर्टल पर कार्मिक ESS पोर्टल पर जाकर अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है, जो उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन कार्यालय में प्राप्त होते हैं।
20.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा जीवित प्रमाण पत्र कब प्रस्तुत किया जाता है?	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा सामान्यतः प्रतिवर्ष नवम्बर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
21.	विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग द्वारा क्या मार्गदर्शन जारी किया गया है ?	वित्त (नियम) विभाग के अर्द.शा.टीपप12(2) वित्त/नियम/2014 पार्ट दिनांक 26.06.2024 के द्वारा मार्गदर्शन जारी किया गया है। इसके अनुसार विधवा/तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी यदि विधवा पुत्री की स्थिति में उसके पति की मृत्यु तथा तलाकशुदा पुत्री की स्थिति में तलाक सरकारी कार्मिक/पेंशनर या उसके जीवनसाथी के रहते हुए के समय ही हो गया हो एवं वह उन पर आश्रित हो। पूर्व में निर्णित प्रकरण को पुनः नहीं खोला जाएगा। अर्थात् उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
22.	स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान पेंशन/पारिवारिक पेंशन बढ़ाकर कितनी की गई है ?	स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रूपये को बढ़ाकर 60 हजार रूपये प्रतिमाह किये जाने की घोषणा इस बजट में की गई है।
23.	मीसा पेंशनर्स को वर्तमान सरकार द्वारा कब से पेंशन देय की गयी है तथा पेंशन की राशि कितनी है ?	मीसा पेंशनर्स को ~~वर्तमान~~ सरकार जीएडी (ग्रुप – 6) के अधिसूचना क्रमांक प. 9(1) सा.प्र.वि./6/2023 दिनांक 14.03.2024 की अनुपालना में दिनांक 01.02.2024 से 20 हजार रू पेंशन एवं 4 हजार रू चिकित्सा सुविधा हेतु प्रतिमाह दिए जा रहे है।

24.	ऑल्ड पेंशन स्कीम का लाभ किन कार्मिको को दिया गया है ?	1 जनवरी 2004 या उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 12(3) एफडी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा दिनांक 01.04.2022 से दिया गया है।
25.	दिनांक 01.04.2022 से पूर्व सेवानिवृत कार्मिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ किस प्रकार से दिया गया है ?	दिनांक 01.04.2022 से पूर्व सेवानिवृत अपनी एनपीएस कारपस राशि (मय ब्याज) राज्य सरकार में जमा रखायें जाने पर दिनांक 01.04.2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया है।
26.	01.01.2004 या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों की 01.04.2022 से पूर्व मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का लाभ किस प्रकार दिया जा रहा है ?	01.01.2004 या उसके पश्चात् नियुक्त एवं दिनांक 01. 04.2022 से पूर्व मृत्यु होने पर कर्मचारी एवं राज्य सरकार की कुल एनपीएस कटौति को जमा करके ओल्ड पेंशन स्कीम की भांति पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।